



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018—आश्विन 6, शक 1940

खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018
संशोधन

क्र. एफ. 2-13-2011-नौ.—मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के दिनांक 5 अप्रैल 2005 द्वारा बनाये गये “पुरस्कार नियम” विक्रम, एकलव्य एवं विश्वामित्र पुरस्कार, दिनांक 10 मार्च 2006 में आंशिक संशोधन किया जाकर पुरस्कार हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पुरस्कार वर्ष के 31 अगस्त के स्थान पर 15 मई की गई थी. मध्यप्रदेश राजपत्र के संशोधन क्रमांक 106, दिनांक 10 मार्च 2006 को अधिक्रमित किया जाता है.

1.1 विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र एवं लाईफ टाईम एचीव्हमेंट पुरस्कार के राजपत्र दिनांक 10 मार्च 2006 की कंडिका 1. 6 (1), 2.6 (1) 3.6(1) एवं 4.6 (1) में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त के स्थान पर 15 मई पढ़ा जावे.

1.2 दिनांक 5 अप्रैल 2005 के विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र एवं लाईफ टाईम एचीव्हमेंट पुरस्कार के राजपत्र की कंडिका 1.6 (4) के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका क्रमांक 1.6(5) पढ़ी जावे—

1.6(5) “विक्रम पुरस्कार हेतु प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन वर्ष में प्रतिभागिता कर पदक प्राप्त किये हो, (तथा पूर्व में विक्रम पुरस्कार प्राप्त न किया हो) उसी वर्ष में पात्र होंगे. इस हेतु पदक विजेता खिलाड़ी से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी और न ही अंतिम तिथि की बाध्यता होगी”.

1.3 दिनांक 05 अप्रैल 2005 के राजपत्र की कंडिका 2.6(1), 3.6(1) एवं 4.6(1) में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त के स्थान पर 15 मई पढ़ी जावे.

1.4 उपरोक्त राजपत्र की कंडिका 3.6(1) के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका क्रमांक 3.6(2) पढ़ी जाये—

3.6(2) ऐसे प्रशिक्षक जिनके खिलाड़ियों ने ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन वर्ष में प्रतिभागिता कर पदक प्राप्त किये हों वह भी विश्वामित्र पुरस्कार हेतु उस वर्ष में आवेदन कर सकेंगे तथा इन प्रशिक्षकों के लिये संबंधित वर्ष में 15 मई अंतिम तिथि की बाध्यता नहीं होगी.